प्रकरण संख्या 93/2019 2019/00037 तारीख रजु–20.02.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1. शिवराम
2. हेतराम
3. सामन्ती पत्नि रामजीलाल

} पिसरान मनभर } जाति गूजर निवासी नवलापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली

– अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–31.07.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीयान के विरूद्ध यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 116 रकबा 2–11 बीघा ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 116 रकबा 2–11 बीघा ग्राम डांडा सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् तालाबी अव्वल दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबदी संवत् 2030–33 तक के खाता संख्या 418 किस्म तालाबी–1 से श्री मनभर पुत्र कंचे गूजर निवासी नवलापुरा के नाम जरिये नियमन से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में श्री शिवराम, हेतराम पि. मनभर, सामन्ती पत्नि रामजीलाल जाति गूजर निवासी नवलापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 116 रकबा 2–11 बीघा ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) को वापस राजकीय भूमि तालाबी–1 दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2030–33, 2068–71, 2072–75, नामांतरकरण संख्या 48 दिनांक 29.02.1970, नामांतरकरण संख्या 479 दिनांक 08.06.1986, नामांतरकरण संख्या 40 दिनांक 15.06.1990, नामांतरकरण संख्या 89 दिनांक 25.04.2011, नामांतरकरण संख्या 97 दिनांक 24.01.2013, नामांतरकरण संख्या 100 दिनांक 27.05.2013 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीयान की गई।

वकील अप्रार्थीयान ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नंबर 116 रकबा 2–11 बीघा ग्राम बाके ग्राम नवलापुरा तहसील मासलपुर में स्थित है जिसकी किस्म तालाबी गलत दर्ज की गई है। उक्त जमीन मौके पर तालाबी नहीं है। ना ही कभी तालाब रहा है ना ही कहीं पानी भरता है। ना ही तालाब के रूप में उपयोग उपभोग में आती है। यह जमीन काश्ता है। और वर्तमान खातेदारी में बारानी दर्ज है। बारानी होने के नाते ही हमको सरकार ने दी है। हम पचासों साल से जमीन पर काबिज काश्त हैं। दोनों फसल रबी

जिला कलक्टर करौली

व खरीफ की करते चले आ रहे है। इसकी किस्म गलत रूप से तालाबी दर्ज कर रखी है जबकि बारानी जमीन है। हमने लाखों रुपया लगाकर जमीन को काबिज काश्त बनाया है। अंत में प्रकरण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 116 रकबा 2–11 बीघा ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् तालाबी अव्वल दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबदी संवत् 2030–33 तक के खाता संख्या 418 किस्म तालाबी–1 से श्री मनभर पुत्र कंचे गूजर निवासी नवलापुरा के नाम जरिये नियमन से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में श्री शिवराम, हेतराम पि. मनभर, सामन्ती पत्नि रामजीलाल जाति गूजर निवासी नवलापुरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थीयान का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 116 रकबा 2–11 बीघा ग्राम बाके ग्राम नवलापुरा की किस्म तालाबी गलत दर्ज की गई है। उक्त जमीन मौके पर तालाबी नहीं है। ना ही कभी तालाब रहा है ना ही कहीं पानी भरता है। ना ही तालाब के रूप में उपयोग उपभोग में आती है। यह जमीन काश्ता है और वर्तमान खातेदारी में बारानी दर्ज है। बारानी होने के नाते ही हमको सरकार ने दी है। हम पचासों साल से जमीन पर काबिज काश्त हैं। दोनों फसल रबी व खरीफ की करते चले आ रहे है। हमने लाखों रुपया लगाकर जमीन को काबिज काश्त बनाया है। अंत में प्रकरण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 116 रकबा 2–11 बीघा तालाबी अव्वल दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतकरण संख्या 48 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 116 किस्म तालाबी–1 रकबा 2–11 श्री मनभर पुत्र कंचे कौम गूजर निवासी नवलापुरा के नाम दिनांक 29.02.1970 को स्वीकार किया है। नकल जमाबन्दी सं0 2071 लगायत 2074 के अनुसार खसरा नंबर 116 रकबा 2–11 बीघा ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) श्री शिवराम, हेतराम पि. मनभर, सामन्ती पत्नि रामजीलाल जाति गूजर निवासी नवलापुरा अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में तालाबी अव्वल दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय के अनुसार हम

जिला कलक्टर
करौली

इस प्रकरण में वर्णित भूमि आराजी खसरा नंबर 116 रकबा 2–11 बीघा को वापस राजकीय भूमि तालाबी–1 दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) की आराजी खसरा नंबर 116 रकबा 2–11 बीघा को वापस राजकीय भूमि तालाबी–1 दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
करौली